

**महालेखाकार का कार्यालय(लेखापरीक्षा-I),केरल,तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)**  
**KERALA, THIRUVANANTHAPURAM**

सं.का.स्था.(हक)/सा.सा.क्षे.ले.प./या.भ परिपत्र/2019-20/

No. O E Entt (GSSA)/TA Circular/2019-20/

Dated /दिनांक: 26-11-2020

**परिपत्र/Circular No.51**

परिपत्र सं 79 दिनांक 6-2-2020 एवं का. ज्ञा सं 19030/1/2017-E.IV दिनांक 13-03-2018 के क्रम में यात्रा भत्ता दावों के सुचारू निपटान के लिए दौरे पर जानेवाले सभी पदाधिकारियों को निम्नलिखित अनुदेशों का सख्त पालन हेतु निदेश दिया जाता है:-

In continuation of Circular No.79 dated 6-2-2020 and OM No.19030/1/2017-E.IV dated 13-03-2018, all officials on tour are directed to comply with the following instructions strictly for the smooth settlement of Travelling Allowance (TA) claims:-

1. दौरा कर रहे पदधारी गण को या.भ.बिल की मुख्य प्रति का.स्था.(हक) अनुभाग को और अनुलिपि संबंधित मुख्यालय अनुभाग को प्रस्तुत करना चाहिए। यदि दौरा अग्रिम आहरित किया गया है तो दौरा समाप्त होने के दो सप्ताह के अंदर या.भ.बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि दौरा अग्रिम आहरित किया गया है और निर्धारित समय के अंदर समायोजन बिल प्रस्तुत नहीं किया है, दण्डस्वरूप ब्याज सहित पूरे अग्रिम की वसूली, अगले माह के वेतन बिल से की जाएगी।

Touring officials should submit main copy of TA bill to OE(Entt) section and the duplicate copy to the HQrs section concerned. **The bills are to be submitted within two weeks of completion of tour if advance is drawn .** If tour advance has been drawn and adjustment bill is not submitted within the prescribed time, the entire advance will be recovered with penal interest from the salary bill pertaining to the succeeding month of due date.

2. यदि अग्रिम आहरित नहीं किया गया है तो दो माह के अंदर या.भ.बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। **The bills are to be submitted within two months of completion of tour if advance is not taken.**
3. या.भ.बिलों को देर से जमा करना जब्त किया जाएगा

**Late submission of TA bills will not be entertained.**

(वरि.उपमले(प्रशा.) के दिनांक26.11.2020 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 26.11.2020 of Sr. DAG (Admn..))

Sd/-

वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारी/ (हक)  
Senior Audit Officer/ (Entt)